अनुदान संख्या 17 - खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग
GRANT No. 17 - DEPARTMENT OF FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION

			कुल अनुदान या विनियोग Total grant or appropriation	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving-
					(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्व:	**Revenue:**				
प्रभारित–	*Charged–*		*1,40,00*	*1,16,22*	*- 23,78*
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	*Amount surrendered during the year*				*20,80*
स्वीकृत–	Voted–				
मूल	Original	76308,45,00	86250,89,00	86240,72,24	- 10,16,76
पूरक	Supplementary	9942,44,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				8,07,86
पूंजीगत:	**Capital :**				
स्वीकृत–	Voted–		10651,81,00	10623,52,57	- 28,28,43
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				28,27,00

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान के राजस्व भाग के स्वीकृत अंश में, बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ:-

Notes and comments

1. In the voted portion of the revenue section of the grant, savings/excess occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head				
मुख्य शीर्ष "3451"	Major Head "3451"				
सचिवालय - आर्थिक	Secretariat-Economic				
सेवाएं	Services				
मू.	O.	3815.00	3494.75	3456.31	- 38.44
पु.	R.	- 320.25			

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving-
			(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)		
मुख्य शीर्ष "2408" खाद्य, भंडारण और भांडागार	Major Head "2408" Food, Storage and Warehousing				
मू.	O.	7621123.00			
पू.	S.	994243.00	8616436.46	8616267.04	- 169.42
पु.	R.	1070.46			
मुख्य शीर्ष "2552" उत्तर पूर्वी क्षेत्र	Major Head "2552" North Eastern Areas				
मू.	O.	2090.00			
पू.	S.	1.00	1.00	..	-1.00
पु.	R.	- 2090.00			
मुख्य शीर्ष "3456" सिविल पूर्ति	Major Head "3456" Civil Supplies				
मू.	O.	886.00			
			224.16	224.14	- 0.02
पु.	R.	- 661.84			
मुख्य शीर्ष "3601" राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	Major Head "3601" Grants-in-aid to State Governments				
मू.	O.	2870.00			
			4124.77	4124.75	- 0.02
पु.	R.	1254.77			

(I) ₹3106.00 लाख का प्रावधान (मार्च, 2013 में प्राप्त किए गए ₹1.00 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित) सत्रह शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; इनमें से ₹2511.00 लाख निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत लेखाबद्ध किए गए:-

(का) मुख्य शीर्ष "2408" - "भंडारण और भांडागार - अन्य व्यय - उचित दर दुकान-सह-गोदामों का निर्माण" - ₹500.00 लाख राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधेयक संसद में प्रस्तुत न किए

(I) Provision of ₹3106.00 lakhs (including token supplementary grant of ₹1.00 lakh obtained in March, 2013) remained wholly unutilised under seventeen heads; of these ₹2511.00 lakhs accounted for under the following major heads:-

(A) Major Head "2408" - "Storage and Warehousing – Other Expenditure – Construction of Fair Price Shop-Cum-Godowns" - ₹500.00 lakhs

जाने के कारण थे।

(खा) मुख्य शीर्ष "2552"-

(क) "भंडारण और भांडागार - अन्य व्यय - पूर्वोत्तर क्षेत्र में राज्य सरकारों द्वारा खाद्य भंडारण गोदामों का निर्माण"- ₹901.00 लाख (₹1.00 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित);

(ख) "नागरिक पूर्ति - अन्य अनुदान - खाद्यान्न प्रबंधन में मूल्यांकन, निगरानी और अनुसंधान तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली का सुदृढ़ीकरण" - ₹816.00 लाख; और

(ग) "जनजातीय क्षेत्र उप योजना - खाद्यान्न प्रबंध में मूल्यांकन, निगरानी और अनुसंधान तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली का सुदृढ़ीकरण" - ₹294.00 लाख।

उपर्युक्त तीन शीर्षों के अंतर्गत प्रावधान पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित स्कीमों पर उपयोग के लिए आंशिक निधियों/निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने और शेष राशि अभ्यर्पित किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा।

(II) मुख्य शीर्ष "2408" - "खाद्य - खाद्य सहायता - राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों के माध्यम से वितरण के लिए आयातित खाद्य तेलों के लिए आर्थिक सहायता" के अंतर्गत ₹36642.00 लाख के मूल प्रावधान को मार्च, 2013 में ₹289.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर ₹36931.00 लाख कर दिया गया, तथापि, जो राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों द्वारा आयातित खाद्य तेल के लिए केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से कम दावे/आंशिक दावे प्राप्त होने के कारण ₹33.89 लाख की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(III) मुख्य शीर्ष "3451" - "सचिवालय - खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग" के अंतर्गत ₹349.12 लाख की

- due to non-presentation of National Food Security Bill (NFSB) in the Parliament.

(B) Major Head "2552" -

(a) "Storage and Warehousing - Other Expenditure – Construction of Food Storage godowns in NE Region by State Governments" - ₹901.00 lakhs (including token supplementary grant of ₹1.00 lakh);

(b) "Civil Supplies – Other Grants – Evaluation, Monitoring and Research in Foodgrains Management and strengthening of Public Distribution System" – ₹816.00 lakhs; and

(c) "Tribal Area Sub-Plan – Evaluation, Monitoring and Research in Foodgrains Management and strengthening of Public Distribution System" – ₹294.00 lakhs.

Provisions under the above three heads remained unutilised due to re-appropriation of part funds/funds to functional heads for utilisation on schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim and surrender of the balance amount.

(II) Under Major Head "2408" – "Food – Food Subsidies – Subsidy for Imported Edible Oils for Distribution through States/UTs Governments" – the original provision of ₹36642.00 lakhs was augmented to ₹36931.00 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹289.00 lakhs in March, 2013 which, however, remained untilised to the extent of ₹33.89 lakhs – due to receipt of less claims/partial claims from Central Public Sector Undertakings for Imported Edible Oil by States/Union Territory Governments.

(III) Under Major Head "3451" - "Secretariat - Department of Food and Public Distribution"-

बचत (₹3773.50 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों को भरे न जाने, प्रशिक्षण के लिए कम नामांकन प्राप्त होने, मुद्रण के बिल प्राप्त न होने और किफायत के उपाय किए जाने के कारण हुई।

saving of ₹349.12 lakhs (against the sanctioned provision of ₹3773.50 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts, receipt of less nominations for training, non-receipt of bills of printing and economy measures.

(IV) मुख्य शीर्ष "2408" - "खाद्य" के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(IV) Under Major Head "2408" - "Food" - savings occurred under the following heads:-

(का) "निदेशन और प्रशासन - अन्य कार्यालय" - ₹1388.33 लाख की बचत (₹2042.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) भारतीय औद्योगिक वित्त निगम लिमिटेड और राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम से अपूर्ण दावे प्राप्त होने के कारण हुई।

(A) "Direction and Administration - Other Offices" – saving of ₹1388.33 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2042.00 lakhs) was due to receipt of incomplete claims from Industrial Financial Corporation of India Ltd. (IFCI) and National Co-operative Development Corporation (NCDC).

(खा) "अन्य व्यय" -

(B) "Other Expenditure"-

(क) "चीनी का बफर स्टाक बनाए रखने के लिए आर्थिक सहायता" - ₹1300.00 लाख की बचत (₹1700.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) चीनी मिलों द्वारा पूर्ण दस्तावेज प्रस्तुत न किए जाने और संशोधित अनुमान चरण पर वित्त मंत्रालय द्वारा प्रावधान में कमी किए जाने के कारण हुई।

(a) "Subsidy for maintenance of Buffer Stocks of Sugar"- saving of ₹1300.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1700.00 lakhs) was due to non-submission of complete documents by the sugar mills and reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance.

(ख) "चीनी उद्योग के विकास के लिए सहायता अनुदान" - ₹189.07 लाख की बचत (₹200.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) अनुदानग्राही संस्थाओं द्वारा पूर्ण दस्तावेज समय पर प्रस्तुत न किए जाने और संशोधित अनुमान चरण पर वित्त मंत्रालय द्वारा प्रावधान में कमी किए जाने के कारण हुई।

(b) "Grants-in-aid for Development of Sugar Industry"- saving of ₹189.07 lakhs (against the sanctioned provision of ₹200.00 lakhs) was due to non-submission of complete documents in time by the grantee institutions and reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance.

(ग) "निर्यात पोतारोहण पर चीनी कारखानों को आंतरिक परिवहन एवं भाड़ा प्रभारों की प्रतिपूर्ति और अन्य अनुमेय दावों की अदायगी" - ₹2021.82 लाख की बचत (₹2500.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मैसर्स पोन्नी शुगर (इरोड) लिमिटेड के मामले में माननीय मद्रास उच्च न्यायालय में दायर

(c) "Reimbursement of Internal Transport and freight charges to sugar factories on export shipments and payments of other permissible claims"- saving of ₹2021.82 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2500.00 lakhs)

की गई पुनर्विलोकन याचिका पर निर्णय के लंबित होने, चीनी के निर्यात की सीमा को बढ़ाए जाने के लिए आर्थिक मामलों संबंधी मंत्रिमंडल समिति द्वारा अनुमोदन प्रदान न किए जाने और संबंधित चीनी मिलों द्वारा अपेक्षित सूचना, दस्तावेज और उपयुक्त उत्तर प्रस्तुत न किए जाने के कारण हुई।

was due to pending decision on review petition filed in Honourable High Court of Madras in case of M/s. Ponni Sugar (Erode) Limited, non-approval of Cabinet Committee on Economic Affairs to raise the limit on export of sugar and non-furnishing of requisite information, documents and suitable replies by the concerned sugar mills.

(V) मुख्य शीर्ष "3456" - "अन्य व्यय - सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुदृढ़ बनाए जाने संबंधी स्कीम" के अंतर्गत ₹638.43 लाख की बचत (₹813.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) ग्राम अनाज बैंक स्कीम के अंतर्गत राज्यों से प्रस्ताव प्राप्त न होने, मूल्यांकन अध्ययन करने के लिए अभिकरण निर्धारित न किए जाने और संशोधित अनुमान चरण पर वित्त मंत्रालय द्वारा प्रावधान में कमी किए जाने के कारण हुई।

(V) Under Major Head "3456" - "Other Expenditure - Scheme relating to strengthening Public Distribution System" - saving of ₹638.43 lakhs (against the sanctioned provision of ₹813.00 lakhs) was due to non-receipt of proposals from the States under Village Grain Bank Scheme, non-finalization of agency for conducting evaluation studies and reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance.

(VI) चार शीर्षों के अंतर्गत ₹346.65 लाख की बचत हुई जो प्रत्येक में ₹50.00 लाख से अधिक परन्तु ₹100.00 लाख से कम और स्वीकृत प्रावधान का 12 प्रतिशत से 72 प्रतिशत तक थी।

(VI) Under four heads savings of ₹346.65 lakhs occurred, each exceeding ₹50.00 lakhs but not exceeding ₹100.00 lakhs and constituting 12 percent to 72 percent of the sanctioned provision.

2.(I) उपर्युक्त बचतें (₹7247.00 लाख) पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से प्रयुक्त हो गईं जैसा कि मुख्य शीर्ष "2408" के अंतर्गत निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत मार्च, 2013 में ₹994244.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था:-

2.(I) The above savings were partly (₹7247.00 lakhs) utilised for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining supplementary grant of ₹994244.00 lakhs in March, 2013 under Major Head "2408" - under the following heads:-

(का) "खाद्य - खाद्य सहायताएं - खाद्यान्नों के लेनदेन पर भारतीय खाद्य निगम और अन्यों को देय आर्थिक सहायता" - ₹6247.00 लाख।

(A) "Food – Food Subsidies – Subsidy payable to Food Corporation of India and others on foodgrains transactions" – ₹6247.00 lakhs.

(खा) "भंडारण और भांडागार - अन्य व्यय - राज्य सरकारों द्वारा पूर्वोत्तर क्षेत्र में खाद्य भंडारण गोदामों का निर्माण" - ₹1000.00 लाख।

(B) "Storage and Warehousing – Other Expenditure – Construction of Food Storage godowns in NE region by State Governments" – ₹1000.00 lakhs.

(II) बचतें मुख्य शीर्ष "3601" - "केंद्रीय योजना स्कीमों के लिए अनुदान" के अंतर्गत निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा भी प्रतिसंतुलित हो गईं:-

(II) Savings were also offset by excess under Major Head "3601" - "Grants for Central Plan Schemes" - under the following heads:-

(का) "नागरिक पूर्ति - अन्य अनुदान - खाद्यान्न प्रबंधन में मूल्यांकन, निगरानी और अनुसंधान तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली का सुदृढ़ीकरण" - ₹960.75 लाख का अधिक व्यय (₹2870.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग मुख्य शीर्ष "2552" से कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने और लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली का कम्प्यूटरीकरण सिरे-से-सिरे तक किए जाने के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुआ।

(A) "Civil Supplies - Other Grants - Evaluation, Monitoring and Research in Foodgrains Management and Strengthening of Public Distribution System"- excess of ₹960.75 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2870.00 lakhs) was due to re-appropriation of funds from Major Head "2552" to functional heads for utilisation on schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim and requirement of additional funds towards end-to-end computerisation of Targeted Public Distribution System.

(खा) "जनजातीय क्षेत्र उप योजना - खाद्यान्न प्रबंधन में मूल्यांकन, निगरानी और अनुसंधान तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली का सुदृढ़ीकरण" - ₹294.00 लाख का अधिक व्यय (शून्य प्रावधान की तुलना में) पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग मुख्य शीर्ष "2552" से कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने के कारण हुआ।

(B) "Tribal Area Sub-Plan - Evaluation, Monitoring and Research in Foodgrains Management and Strengthening of Public Distribution System"- excess of ₹294.00 lakhs (against nil provision) was due to re-appropriation of funds from Major Head "2552" to functional heads for utilisation on schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

3. अनुदान के पूंजीगत भाग में, बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ:-

3. In the capital section of the grant, savings/excess occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष / Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving-
मुख्य शीर्ष "4408" Major Head "4408"				
खाद्य, भंडारण और भांडागार पर पूंजीगत परिव्यय Capital Outlay on Food, Storage and Warehousing				
मू.	O.	580.00		
			2354.00	2352.57 - 1.43
पु.	R.	1774.00		

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving-
			(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)		
मुख्य शीर्ष "4552" उत्तर पूर्वी क्षेत्रों पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4552" Capital Outlay on North Eastern Areas				
मू.	O.	4600.00	..	..	..
पु.	R.	- 4600.00			

(I) ₹4751.00 लाख का प्रावधान तीन शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; इनमें से ₹4750.00 लाख निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत लेखाबद्ध किए गए:-

(का) मुख्य शीर्ष "4408" - "खाद्य - अन्य व्यय - राष्ट्रीय खाद्य आयोग और राज्य खाद्य आयोगों की स्थापना" - ₹150.00 लाख राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधेयक संसद में प्रस्तुत न किए जाने के कारण थे।

(खा) मुख्य शीर्ष "4552" - "भंडारण और भांडागार - सार्वजनिक क्षेत्र के और अन्य उपक्रमों में निवेश - भारतीय खाद्य निगम" - ₹4600.00 लाख पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित स्कीमों पर उपयोग के लिए आंशिक निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने और शेष राशि अभ्यर्पित किए जाने के कारण थे।

4. उपर्युक्त बचतें मुख्य शीर्ष "4408" - "भंडारण और भांडागार - अन्य व्यय - पूर्वोत्तर क्षेत्र में भारतीय खाद्य निगम द्वारा खाद्य भंडारण गोदामों का निर्माण" के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित हो गईं - ₹1928.00 लाख का अधिक व्यय (शून्य प्रावधान की तुलना में) पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग मुख्य शीर्ष "4552" से कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने के कारण हुआ।

(I) Provision of ₹4751.00 lakhs remained wholly unutilised under three heads; of these ₹4750.00 lakhs accounted for under the following major heads:-

(A) Major Head "4408" - "Food – Other Expenditure – Setting up of National Food Commission and State Food Commissions" – ₹150.00 lakhs – due to non-presentation of National Food Security Bill (NFSB) in the Parliament.

(B) Major Head "4552" - "Storage and Warehousing - Investments in Public Sector and Other Undertakings - Food Corporation of India"- ₹4600.00 lakhs - due to re-appropriation of part funds to functional heads for utilization on schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim and surrender of the balance amount.

4. The above savings were partly offset by excess under Major Head "4408"- "Storage and Warehousing - Other Expenditure - Construction of Food Storage godowns in North Eastern Region by FCI" – excess of ₹1928.00 lakhs (against nil provision) was due to re-appropriation of funds from Major Head "4552" to functional heads for utilisation on schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

5. ***चीनी विकास निधि:-***

चीनी विकास निधि, 1982 (संक्षिप्त रूप में एसडीएफ अधिनियम) की स्थापना चीनी कारखानों के पुनर्वास और आधुनिकीकरण के साथ-साथ गन्ना विकास तथा अनुदान उपलब्ध कराकर चीनी उद्योग के विकास को परिलक्षित करते हुए अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए रियायती दरों पर कर्जों के माध्यम से वित्तीय सहायता देने के उद्देश्य से की गई थी। इस निधि का उपयोग चीनी की कीमत में स्थायित्व रखने के लिए बफर स्टाक को बनाने और उसके रख-रखाव के उद्देश्य पर होने वाले व्यय को चुकाने के लिए भी किया जाएगा।

चीनी उपकर नियम, 1982 (जिसे इस अधिनियम के अंतर्गत बनाया गया था) में चीनी कारखानों द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली लेखाकरण रिपोर्टों और विवरणियों के तरीके, लेखों का रख-रखाव आदि का प्रावधान किया गया है। इस अधिनियम के अंतर्गत उगाही गई और वसूली गई उत्पाद शुल्क की आय के बराबर की राशि, केंद्रीय सरकार द्वारा यथानिर्धारित वसूली लागत द्वारा घटाई गई, चीनी विकास अधिनियम, 1982 के खंड 3 के अधीन स्थापित चीनी विकास निधि में जमा की जाएगी।

वर्ष 2012-2013 के लिए इस निधि का लेखा इस प्रकार था:-

5. ***Sugar Development Fund:-***

Sugar Development Fund, 1982 (briefly the SDF Act) was created for the purpose of rendering financial assistance through loans at concessional rates for rehabilitation and modernisation of sugar factories as well as for sugarcane development and for encouraging research aimed at development of sugar industry by making grant. The fund shall also be applied for defraying expenditure for the purpose of building up and maintenance of buffer stock of sugar with a view to establishing price of sugar.

The Sugar Cess Rules, 1982 (which were made under the Act) provide for the manner of accounting reports and returns to be furnished by sugar factories, maintenance of accounts etc. An amount equivalent to the proceeds of the duty of excise levied and collected under the Act, reduced by the Cost of collection as determined by the Central Governments, shall be credited to the Sugar Development Fund formed under Section 3 of the Sugar Development Act, 1982.

The Account of the Fund for 2012-2013 was as follows:-

(हजार रुपयों में)
(In thousands of rupees)

अथशेष	Opening Balance	406,57,40
प्राप्तियां	Receipts	926,32,20
अदायगियां	Payments	645,60,37
अंत शेष	Closing Balance	687,29,23